रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 737] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 24, 2016/कार्तिक 2, 1938

No. 737] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 24, 2016/KARTIKA 2, 1938

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 998(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारुप जिसमें केंद्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा-5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा-14 की अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के पश्चात उक्त प्रारुप पर विचार किया जाएगा;

यदि कोई व्यक्ति आक्षेप या सुझाव देना चाहे तो उसे महानिदेशक नागर विमानन, सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने, नई दिल्ली -110003 को भेजे;

उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारुप नियमों के बाबत यदि कोई व्यक्ति से प्राप्त आक्षेप या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारुप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (संशोधन) नियम, 2016 है।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 (एतद्वारा कथित नियम कहा जाए) में, नियम 82 के उप-नियम में,-

   (क) ''हर उपयुक्त समय पर'' शब्दों के स्थान पर ''हर उपयुक्त समय या अंतराल पर'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) ''विमान क्षेत्र पर सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए'' शब्दों के स्थान पर ''विमान क्षेत्र पर सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निगरानी के प्रयोजन के लिए'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।

3. कथित नियमों के नियम 83 में, उप-नियम (5) के बाद निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थातः-

''(6) महानिदेशक, उप-नियम (1) के तहत अधिरोपित किसी भी शर्त के अनुपालन न होने की दशा में या विमान क्षेत्र निरीक्षण के दौरान सुरक्षा संबंधी समस्या सामने आने पर और महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके समाधान न होने की स्थिति में अनुज्ञप्ति पर प्रचालन प्रतिबंध लगा सकते हैं।''

[फा.सं. एवी-11012/5/2016-ए]

अरूण कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना सं0 वी-26 द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, के असाधारण, भाग II, खंड (3), उप-खंड (i) में तारीख 8 अक्तूबर, 2016 को सा. का. नि. 977 (अ) तारीख 5 अक्तूबर, 2016 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2016

G.S.R. 998(E).—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937(hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1) of rule 82,—

(a) for the words “at all reasonable times”, the words “at all reasonable times or intervals” shall be substituted;

(b) for the words “for the purpose of ensuring safety and order at the aerodrome”, the words “for the purpose of surveillance to ensure safety and order at the aerodrome” shall be substituted.

3. In rule 83 of the said rules, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(6) The Director-General may impose operating restriction on the license in the event of non-compliance with any condition imposed under sub-rule (1) or if any safety concern emerges during the aerodrome inspection and remains unresolved beyond the period specified by the Director-General.”.

[F. No. AV-11012/5/2016-A]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette vide notification number V-26, dated 23rd March, 1937 and were last amended vide number G.S.R. 977 (E), dated the 5th October, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 8th October, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.10.25 09:44:39 +05'30'